

श्रीमान पंजीयन अधिकारी
भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्मकार कल्याण मण्डल
सवाई माधोपुर

विषयः— हिताधिकारी का परिचय पत्र (डायरी) का अंशदान जमा कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी निम्नानुसार धोषणा पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-
1— यह कि प्रार्थी भवन एवं अन्य के निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करता/करती है। प्रार्थी ने श्रम विभाग सवाई माधोपुर में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक है जिसके पंजीयन क्रमांक पंजीयन दिनांक / / है तथा प्रार्थी की अंशदान राशि जमा कराने अथवा परिचय पत्र की अवधि / / को समाप्त हो रही है / हो गई है।
2— यह है कि प्रार्थी अपने परिचय पत्र का नवीनीकरण हेतु अंशदान पांच वर्ष/ के लिए जमा करवाना चाहता/चाहती हूँ। प्रार्थी ने अपने परिचय पत्र के नवीनीकरण की समाप्ति तिथि से विगत एक वर्ष की अवधि में नियोजक/ठेकेदार (नियोजक का नाम एवं पूर्ण पता अंकित करें) के अधीन दिनों तक भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक के रूप में बेलदार/मिस्त्री / का कार्य दिनों तक किया है। नियोजक/ठेकेदार के परिचय पत्र की फोटो प्रति सलंगन करें।
3— यह है कि प्रार्थी पंजीकृत निर्माण श्रमिक की आयु वर्ष है जिसकी पुष्टि हेतु मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/जन्म प्रमाण पत्र की प्रति सलंगन करें।
4— यह है कि उपरोक्त धोषणा पूर्व बयान मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही एवं दुरस्त है। ईश्वर मेरा साक्षी है।
सलंगन उपरोक्तानुसार

दिनांक / /	प्रार्थी
	श्रमिक का नाम आधार कार्ड व भामाशाह नं0—
स्थानः—	पिता/पति का नाम बैंक खाता व नाम निवासी मो0 नं

नियोजक की धोषणा

यह है कि मे पुत्र निवासी धोषणा पूर्वक बयान करता हूँ कि वर्णित श्रमिक भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक है तथा उपरोक्त श्रमिक बिन्दू संख्या 2 के अनुसार मेरे अधीन दिनों तक नियोजित रहा है। आवेदन में वर्णित जानकारी सही एवं दुरस्त है तथा ईश्वर मेरा साक्षी है।

स्थानः—

दिनांक :— / /

हस्ताक्षर धोषणाकर्ता
नियोजक ठेकेदार के
मो0नं0

धोषणा-पत्र (अ) (नियोजक/सम्पत्ति मालिक द्वारा)

1. मैं (नाम) पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
.....उम्र वर्ष निवासी
.....(ग्राम पंचायत/वार्ड /पचांयत समिति/नगर पालिका) जिला का रहने
वाला हूँ। मेरे आधार नम्बर/भासाशाह नम्बर एवं मोबाइल नम्बर
..... हैं।
2. यह कि, मुझ धोषणाकर्ता ने वार्ड नम्बर गाम ग्राम पंचायत
पंचायत समिति/नगर पालिका वार्ड न0 तहसील जिला में
स्वयं के मकान/अन्य निर्माण कार्य करवाया हैं। धोषणाकर्ता के पास उक्त सम्पति का मालिका हक हैं।
3. मेरे द्वारा स्थानीय प्रशासन (पंचायत/शहरी निकाय) से अनुमति लिये जाने के उपरान्त उक्त निर्माण करवाया
गया हैं। मेरे द्वारा कुल वर्ग फुट निमाण का कार्य दिनांक से दिनांक
के मध्य कराया गया जिसके निमाण /नवीनीकरण में कुल अनुमानित रूपये की लागत आई
हैं। इस पर मेरे द्वारा निमाण सेस का भुगतान किया गया /देय नहीं हैं।
4. यह कि मुझ धोषणाकर्ता के मकान पर श्री/
श्रीमति पत्नी/ पुत्र निवासी
..... ने दिनांक से दिनांक तक कुल बेलदारी/मिस्त्री
का कार्य किया है।
5. यह है कि उपरोक्त श्रमिकों को बेलदारी/मिस्त्री का कार्य मेरे अधीन करने पर रूपये प्रतिदिन के
हिसाब से कार्य किया है। एवं उक्त श्रमिक का मेरे द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान मे उक्त
श्रमिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।
6. यह कि मेरे द्वारा दिया गया उल्लेखित समस्त विवरण/ निर्माण श्रमिक प्रमाणीकरण पूर्णत सही हैं। प्रमाण
—पत्र का विभागीय अधिकारीयों द्वारा जांच/मौका निरीक्षण के दौरान फर्जी/असत्य पाये जाने की स्थिति में
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत मेरे विरुद्ध की गई कार्यवाही की मैं पूर्ण
रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ एवं कथित प्रमाण —पत्र के आधार पर प्रमाणित किये गये श्रमिक द्वारा
प्राप्त की गई हितलाभ की राशि की वसूली श्रमिकसे कराने हेतू मैं बाध्य रहूँगा।

हस्ताक्षर.....
(नियोजक/सम्पत्ति मालिक)

अंगुठे का निशान
(नियोजक/सम्पत्ति मालिक)

दिनांक/...../.....

स्थान:

प्रार्थी के हस्ताक्षर